अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– 16/02/2023 से 21/02/2023

जिला– बोकारो, संख्याः– 02/2022-2023

केस का प्रकारः– जमाबंदी

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	आवेदक कालेश्वर प्रसाद वर्णवाल पिता स्व0 राम प्रसाद साव, ग्राम+पो0 भेण्डरा, थाना नावाडीह, जिला बोकारो द्वारा आवेदित किया है कि मेरे पूर्वज के नाम से खाता सं0 01, प्लॉट सं0 0, रकबा 4.44 1/2 ए0 ऑनलाईन पंजी ।। के पृ0सं0 253/।। पर दिना साव पिता देवीलाल साव के नाम से जमाबंदी दर्ज है। प्लॉट सं0 2087, रकबा 0.13 ए0 भूमि ऑनलाईन पंजी ।। में दर्ज नही है जिसे पंजी ।। में दर्ज करने की कृपा किया जाय। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 21.02.2023 को उपस्थापित करें। Ankha 16/02/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह। अभिलेख उपस्थापित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा भेण्डरा, थाना सं0 55, जमाबंदी सं0 253/।।, खाता सं0 01, प्लॉट सं0 2087, रकबा 0.13 ए0 भूमि जीरात (रैयती) खाते की है ऑनलाईन पंजी ।। में उक्त प्लॉट का रकबा दर्ज किया जा सकता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मौजा भेण्डरा, थाना सं0 55, खाता सं0 01, जमाबंदी सं0 253/।। में प्लॉट सं0 2087, रकबा 0.13 ए0 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि उक्त पंजी ।। में संबंधित प्लॉट एवं रकबा दर्ज करें। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। Ankha 21/02/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह। — Ankha 21/02/2023 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Scanned with CamScanner

यह भूमि किसी भी प्रकार की सरकारी/अर्द्धसरकारी भूमि यथा– गैरमजरूआ आम/खास, गोचर, कैसरेहिन्द, रेलवे बी० क्लास, देवोत्तर, ब्रहमोत्तर, देवस्थान, ब्रहमस्थान, बकास्त/जिरात/सिकमी या किसी अन्य प्रकार की अहस्तांतरणीय भूमि नहीं है। यह भूमि न तो किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैरसरकारी उपकर्मों/प्रतिष्ठानों आवंटित है, और न ही इनमें से किसी को प्रदत्त/आवंटित है। यह भूमि भूदान, सैरात, हदबंदी कानून, वनभूमि से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। यह भूमि पूर्णता अधिसूचित वनक्षेत्र से बाहर है तथा जंगलझाडी नहीं है।

सुधार हेतु आवेदक खतियानधारी रैयत का वंशज है एवं/या उत्तराधिकार/वैधतः कयोपरांत/हस्तांतरण के माध्यम से वैध उत्तराधिकारी है तथा इस आधार पर भूमि के स्वांश के संबंध में ऑनलाईन पंजी ।। संबंधी प्रविष्टियों में सुधार हेतु आवेदन करने का पात्र है।

प्रस्तावित सुधार के संबंध में कृत जॉच के कम में किसी भी चौहदीदार द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

मैंने जाँच के कम में पाया है कि यथावेदित *सुधारपूर्व उक्त जमीन का विवरण निम्नवत अंकित है अर्थात–*

मौजा ....मैरूक........थाना सं0 ..55......जमाबंदी सं0....253/II.... खाता सं0 ...01..... प्लॉट सं0 .... किस्म ....[illegible].... रकबा ....4.44.5.... लगान....3.58....
..............रैयत का नाम....[illegible]........ पिता का नाम....[illegible]....
.... पता........मैरूक........

अतः स्वयं मेरे द्वारा कृत जॉच, एवं राजस्व दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत मैं सर्वथा संतुष्ट होकर उत्तरदायित्वपूर्ण अनुशंसा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऑनलाईन रजिस्टर–।। में यथोचित सुधार कर *निम्नवत कर दिया जाना चाहिए अर्थात–*

मौजा ....मैरूक........थाना सं0 ..55......जमाबंदी सं0....253/II.... खाता सं0 ...01..... प्लॉट सं0 ....2087.... किस्म ....[illegible].... रकबा ....0.13.0.... लगान........
..............रैयत का नाम....[illegible]........ पिता का नाम....4.44.5.... [illegible]
.... पता........मैरूक........

हस्ताक्षर ....[signature]....

राजस्व उपनिरीक्षक का नाम....[illegible]....

हल्का स0– ....VI....

अंचल निरीक्षक का हस्तलिखित प्रतिवेदन

....प्रस्तावित भूमि [illegible] प्रविष्टि को online पंजी II में [illegible] दर्ज [illegible] सकता है....

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.02.22 11:53:37 +05:30
Location: 192.168.43.111

हस्ताक्षर ....[signature]....

(नाम सुनील कुमार सिन्हा)

अंचल निरीक्षक, नावाडीह

Scanned with CamScanner